कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

टिप्पणी (क्रमिक)

2025/294

7/10/2025 — अपीलार्थी श्री अभिषेक राठी द्वारा अपील के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पुनः सुनवाई का मौका दिये जाने पर पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र मय मूल अपील पर पुनः सुना गया। अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जावें। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु रिजर्व रखी जाती है।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

11/11/2025 — पत्रावली वास्ते निर्णयार्थ पेश हुई। अपीलार्थी श्री अभिषेक राठी तत्कालीन पटवारी, बहादुरपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा की अपील जिला कलक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 05.04.2018 के विरूद्ध लगभग 07 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। अपील में विधि अनुसार निर्धारित समय सीमा के बिन्दु पर अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। अपील इतने लम्बे समय बाद विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के संबंध में दिये गये कारण संतोषप्रद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय मूल अपील स्वीकार योग्य नहीं है। पत्रावली निस्तारित की जाती है तथा पत्रावली नम्बर से कम हो।

संभागीय आयुक्त
अजमेर